

स्टेट V/S भागीरथ

2018

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। नोटिश बाद तामील प्राप्त शामिल पत्रावली रहे। ILR से फसल कुर्क रिपोर्ट प्राप्त जिसके अनुसार खड़ी फसल को कुर्क किया जाकर हल्का परवारी की तहकील में सुपुर्द की गई है। फर्द कुर्क शामिल पत्रावली रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार परवारी हल्का 2 K.L.D. ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें हल्का परवारी के चक 4 K.L.D. के मु० नं० 171/43 के किला नं० 1, 10, 13, 15, 17, 18, 23, 25 की तादादी 16-00 बीघा कमाण्डे/अनकमाण्डे भूमि जो अशजीराज है पर अप्रार्थी श्री भागीरथ — पुत्र श्री सत्यनारायण जाति कुम्हार निवासी 4 K.L.D. ने फसल रबी सम्बत 2074 में जिनस सरसो, गेहू, चना कारत कर अतिचार किया है। अप्रार्थी को नोटिश जारी किया गया नोटिश बाद तामील प्राप्त हुआ। बावजूद इतना अनुपस्थित रह है। अप्रार्थी ने किसी भी प्रकार का जबाब प्रस्तुत नहीं कर अतिक्रमण काना स्वीकार किया जाना प्रमाणित होता है।

अतः अप्रार्थी के द्वारा चक 4 K.L.D. के मु० नं० 171/43 के किला नं० 1, 10, 13, 15, 17, 18, 23, 25 में तादादी 16-00 बीघा पर सम्बत 2074 की फसल रबी में जिनस गेहू, चना, सरसो कारत करने आरोप में अतिक्रमण घोषित किया जाता है। अतिक्रमण की कारत शुरु फसल जो पूर्व में कुर्कशुदा है तथा हल्का परवारी की तहकील में सुपुर्द है को जिनस मिलायी मिस्तारण किया जाकर फर्द मिलायी वाले रबी कुर्क ILR के माध्यम से अधोहस्ताक्षरों को प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे पत्रावली निर्णय शुमार की जावे। अतिक्रमण श्री भागीरथ — पुत्र श्री सत्यनारायण जाति कुम्हार निवासी 4 K.L.D. ने चक 4 K.L.D. के मु० नं० 171/43 के किला नं० 1, 10, 13, 15, 17, 18, 23 के तादादी 16-00 बीघा कमाण्डे/अनकमाण्डे रकबा पर सम्बत 2074 की फसल रबी में जिनस गेहू, चना कारत कर अतिचार किया है। जिसके आरोप में शरह पड़ता लगाम 1.64 बीघा के अनुसार 16-00 बीघा की

राशि 26-24 का 50 - गुना अर्थदण्ड रु० 1312

अखरे कपये एक हजार तीन सौ बारहमात्र से दण्डित किया है। फसल मिलायी व अर्थदण्ड वसूली हेतु 1LR व हल्का परवारी को लिखा जाकर पत्रावली फसल शुमार होवे। पत्रावली काद तकमील तरीक दाखिल दफतर होवे।

'घ' रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 323 पर रूपये 1312-00 का मांग कायम की गई।

डी.आर.ए. खाजूवाला

मिर्गी आज दिनांक 9/3/2018 - को सरेइजत सुनाया गया।


तहसीलदार (राजस्य) खाजूवाला


21/4/2018 पत्रावली पेशी में ली गई। 1LR द्वारा पूर्व आदेश की पालना में फसल मिलायी की रिपोर्ट स्वयं फसल मिलायी वास्ते स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई है। पुनः लिखा जाकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 15/6/18 को पेश होवे।

तहसीलदार (राजस्य) खाजूवाला

15/6/18 पत्रावली पेश हुई। 1LR में फसल मिलायी फसल शुमार हुई शामिल पत्रावली फसल मिलायी स्वीकृत की जाती है। निम्नानुसार पत्रावली द्वारा भोग कायम दाखिल दफतर होवे।

'घ' रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 323 पर रूपये 11400/- का मांग कायम की गई।

डी.आर.ए. खाजूवाला


तहसीलदार (राजस्य) खाजूवाला